बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना—15, दिनांक : 01 जून, 2019

संख्याः1/प्र0वि0—1002/2018—सा0प्र0—7464/श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.06.2019 से दिनांक 14.06.2019 तक विदेश यात्रा की अनुमति विभागीय पत्रांक—4482 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

2. तदुपरान्त, श्री विवेक कुमार सिंह को कार्यहित एवं राज्यहित में दिनांक 01.06.2019 को अमेरिका के लिए प्रस्थान करने तथा दिनांक 23.06.2019 को इंगलैंड के रास्ते वापस आने की अनुमति महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी है।

3. अतएव, श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना की प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि (ऊपर की कंडिका—2 की अवधि) में उनके द्वारा धारित उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार श्री आर0के0 महाजन, भा0प्र0से0(87), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी/ निगरानी विभाग, बिहार, पटना) को प्रदान किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—1/प्र0वि0—1002/2018सा0प्र0—7464/पटना—15, दिनांकः 01 जून, 2019

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित सभी पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।